धन के खोने, नष्ट करने अथवा गलत उपयोग पर सदस्यों का उत्तरदायित्व

87. (1) द्वीप परिषद के किसी भी धन अथवा सम्पत्ति के खो जाने, नष्ट हो जाने अथवा गलत उपयोग करने पर द्वीप परिषद का हर सदस्य जिम्मेदार होगा, जिसके लिए वह पार्टी अथवा जिसके लिए वह कारण बना है अथवा उसके द्वारा सुविधा प्राप्त किया है अथवा सदस्य के रूप में कर्त्तव्य को धोखाधड़ी के उद्देश्य से जानबूझ कर अनदेखा किया गया ।

(2) यदि संबंधित सदस्य को इस संबंध में कारण बताने के लिए उचित अवसर देने के बाद उपायुक्त संतुष्ट होते हैं कि द्वीप परिषद का कोई रकम अथवा अन्य सम्पत्ति को खोने, नष्ट होने अथवा गलत उपयोग का सीधा संबंध उसके दुर्व्यवहार अथवा उसकी ओर से जानबूझ कर अनदेखा किया गया है तो वह ऐसे सदस्य को लिखित आदेश द्वारा द्वीप परिषद को निर्धारित तिथि से पहले खोए हुए, नष्ट हुए अथवा गलत उपयोग किए गए कार्यों की भरपाई के लिए आवश्यक राशि के भुगतान का निर्देश देगा ।

बशर्ते कि ऐसा आदेश सदस्य के आकस्मिक अथवा तकनीकी अनियमितताओं अथवा गलतियों के लिए नहीं होगा ।

(3) यदि राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो उपायुक्त निर्धारित अनुसार वसूली करेगा और उसे द्वीप परिषद कोष में जमा करेगा ।

(4) आदेश के 30 दिनों के भीतर सचिव, जनजातीय कल्याण के पास आदेश संबंधित अपील कर सकता है ।

द्वीप परिषद का विघटन

88. (1) यदि प्रशासक के विचार में द्वीप परिषद :–

(क) इसकी शक्तियों को पार करना है अथवा दुरूपयोग करना है; अथवा

(ख) इस विनियम अथवा तत्समय लागू किसी अन्य विधि द्वारा अथवा के तहत इस पर लागू कर्त्तव्यों के निष्पादन में जानबूझ कर तथा लगातार गलतियाँ करते हैं अथवा निष्पादन में असक्षम होते हैं; अथवा

(ग) इस विनियम के तहत देने योग्य करों को देने में असफल होते हैं; अथवा

(घ) धारा 86 की उप धारा (2) के अंतर्गत उपायुक्त सरकारी राजपत्र में आदेश जारी कर द्वीप परिषद को समाप्त कर सकता है और धारा 60 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार द्वीप परिषद पुनर्गठित करने का निदेश दिया जाएगा ।

(2) स्पष्टीकरण देने के लिए उचित अवसर दिए बगैर द्वीप परिषद उप–धारा (1) के तहत कोई आदेश पारित नहीं कर सकता ।

(3) यदि उप धारा (1) के तहत यदि द्वीप परिषद विसर्जित हो जाता है तो निम्नलिखित परिणाम अनुवर्ती होगा :–

(क) द्वीप परिषद के सभी सदस्यों की आदेश की निर्धारित तिथि से सदस्यता समाप्त हो जाएगी ;

(ख) द्वीप परिषद की समाप्ति अवधि के दौरान द्वीप परिषद के सभी शक्तियों और कर्त्तव्यों का निर्वहन और निष्पादन इसकी ओर से नियुक्त व्यक्ति अथवा व्यक्तियों द्वारा किया जाएगा;

(ग) द्वीप परिषद की समितियाँ समाप्त मानी जाएँगी और उस तिथि से समिति के सभी सदस्यों को कार्यालय खाली करना होगा।

89. यदि दो या दो से अधिक द्वीप परिषदों के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसे इस संघ राज्य क्षेत्र के सचिव, जनजातीय कल्याण के पास भेजना होगा और इस मामले में उनका निर्णय ही अंतिम माना जाएगा ।

प्रशासक कार्यवाही अभिलेखों की मांग कर सकता है ।

90. प्रशासक अपनी संतुष्टि के लिए किसी पारित आदेश की वैधता या उपयुक्तता के लिए किसी अधिकारी या द्वीप परिषद के कार्यवाही अभिलेखों की मांग कर सकता है और जाँच कर सकता है तथा वह जैसा ठीक समझे आदेश में संशोधन या परिवर्तन कर सकता है ।